राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर नंदलाल / सोदानसिंह

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 362—पीबीआर / 15 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13—2—2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 29—1—2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :— 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण 2 आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्कों में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई	

है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है । अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष

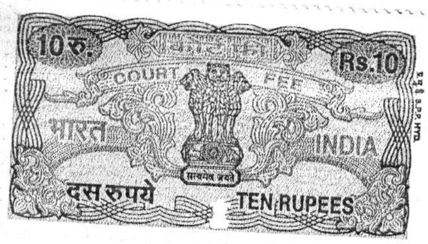

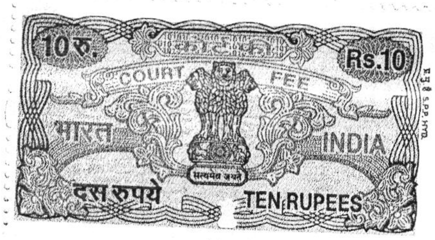

रिव्यू 362-PBR-15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल भोपाल बेंच मध्यप्रदेश

प्र0 क्र0.-......................

1. नंदलाल आयु लगभग 70 वर्ष,

2. बिहारीलाल आयु लगभग 65 वर्ष,
दोनों पुत्रगण स्व0 श्री रामलाल
निवासीगण ग्राम बरखेड़ीकलां,
तहसील-हुजूर जिला-भोपाल (म0प्र0) .... पुनर्विलोकनकर्तागण/आवेदकगण

श्री ... एडवोकेट द्वारा दिनांक 11.2.15 को मेरे समक्ष प्रस्तुत
11/2/15

विरूद्ध

1. सोदान सिंह आयु वयस्क,

2. घनश्याम आयु वयस्क,
दोनों पुत्रगण स्व0 श्री कैलाश
निवासीगण-ग्राम बरखेड़ीकलां,
तहसील-हुजूर जिला भोपाल म0प्र0 ....

अनावेदकगण

CF 12.2.15

16-2-15

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

माननीय न्यायालय के द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक-3023-पी.बी.आर./14 में पारित आदेश दिनांक 29.01.2015 जिसके द्वारा तहसील न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक-3/अ-6/12-13 अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के राजस्व अपील क्रमांक-7/अपील/13-14 एवं आयुक्त न्यायालय के राजस्व द्वितीय अपील क्रमांक-110/अपील/13-14 दिनांकित क्रमशः : 02.11.2013, 29.05.2014 एवं 12.08.2014 अपास्त करते हुए बिना किसी पुनर्विलोकन निर्देश के साथ तथा पुनर्विलोकनकर्तागणों के स्वत्व संबंधी सिविल अधिकारियों को समाप्त करते हुए पारित किया गया है जिस कारण सम्मानीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत है :-

तथ्य

1. यह कि ग्राम बरखेड़ीकलां तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित राजस्व सर्वे क्रमांक क्रमशः 10, 11, 12 रकबा 1.168 ...